IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

बिहार में अनुसूचित जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण : संभावनाएँ और वैश्विक दृष्टिकोण

डॉ .संजीव कुमार
पूर्व पीएचडी शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, गया) बिहार(, भारत
sk323799@gmail.com

सारांश

यह शोध पत्र बिहार में अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के राजनीतिक सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। संविधान द्वारा आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किए जाने के बावजूद, अनुसूचित जातियों की निर्णय प्रक्रिया में वास्तविक भागीदारी अब भी प्रतीकात्मक और संरचनात्मक रूप से सीमित है। शोध में यह उजागर किया गया है कि जातिगत वर्चस्व, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, शिक्षा और संसाधनों तक सीमित पहुँच, तथा विशेष रूप से दलित महिलाओं में प्रॉक्सी नेतृत्व की प्रवृत्ति जैसी बाधाएँ गहराई से विद्यमान हैं। दलित समुदाय की आंतरिक खंडित पहचान और एकीकृत राजनीतिक एजेंडे की अनुपस्थिति इस सशक्तिकरण को और जटिल बनाती है। वैश्विक अनुभव , जैसे दक्षिण अफ्रीका का ए.एन.सी. आंदोलन और अमेरिका का 'ब्लैक लाइव्स मैटर' — इस दिशा में समावेशी राजनीतिक चेतना के विकल्प प्रस्तुत करते हैं। शोध इस बात पर बल देता है कि बिहार में वैचारिक पुनःशिक्षा, डिजिटल नेतृत्व, संस्थागत सहायता और साझा बहुजन मंच की स्थापना अनिवार्य है। निष्कर्षतः, अनुसूचित जातियों का सशक्तिकरण मात्र प्रतिनिधित्व नहीं, बल्कि नीति निर्माण और सामाजिक परिवर्तन की सक्रिय भूमिका में ही निहित है।

प्रमुख शब्द: *अनुसूचित जातियों ; राजनीतिक सशक्तिकरण ; समावेशी राजनीतिक चेतना; सामाजिक परिवर्तन*

1. परिचय

भारतीय लोकतंत्र की शक्ति केवल उसके संविधानिक ढांचे में नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की समान और सक्रिय भागीदारी में निहित है। स्वतंत्र भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किए, जिनमें आरक्षण, प्रतिनिधित्व और कल्याणकारी योजनाएँ शामिल हैं। तथापि, इन प्रयासों के सात दशक बाद भी यह वर्ग आज भी लोकतांत्रिक

प्रक्रियाओं में पूर्ण भागीदारी से वंचित प्रतीत होता है, विशेषतः बिहार जैसे राज्य में, जहाँ जातीय संरचना राजनीतिक व्यवहार और सामाजिक व्यवस्था दोनों को गहराई से प्रभावित करती है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार की कुल जनसंख्या लगभग 10.41 करोड़ थी, जिसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 2.34 करोड़)15.9%) थी। यह वर्ग राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा होते हुए भी सामाजिक रूप से सबसे अधिक वंचित और राजनीतिक दृष्टि से सीमित भागीदारी वाला माना जाता है। बिहार विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें, जबकि लोकसभा में 8 सीटें आरक्षित हैं भारत निर्वाचन आयोग), 2019)। यह आरक्षण सुनिश्चित करता है कि उन्हें प्रतिनिधित्व तो प्राप्त हो, परंतु क्या यह प्रतिनिधित्व प्रभावी और स्वतंत्र है यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है।

Association for Democratic Reforms (ADR) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में चुने गए सांसदों में 43% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण लंबित थे, जिनमें से अनेक गंभीर प्रकृति के थे। यह आँकड़ा यह दर्शाता है कि चुनाव प्रक्रिया में धनबल और बाहुबल का प्रभाव अब भी गहरा है, जिससे अनुसूचित जातियों से आने वाले ईमानदार प्रतिनिधियों को अवसर प्राप्त करना कठिन हो जाता है। परिणामस्वरूप, यह समुदाय राजनीति में केवल प्रतीकात्मक भागीदार बन कर रह जाता है।

इसी बीच, *Res Militaris* जर्नल)2022) में प्रकाशित एक अध्ययन दर्शाता है कि भारत का Liberal Democracy Index वर्ष 2012 में 0.54 से घटकर वर्ष 2022 में 0.31 हो गया, जबकि Electoral Democracy Index उसी अवधि में 0.67 से गिरकर 0.45 पर आ गया। यह गिरावट केवल अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की रैंकिंग नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भीतर घटती नागरिक सहभागिता, विशेषतः वंचित तबकों की, का प्रतीक है। NITI Aayog द्वारा प्रकाशित School Education Quality Index (2019) के अनुसार, बिहार में अनुसूचित जाति समुदायों में शिक्षा का स्तर राज्य के औसत से नीचे है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नागरिक साक्षरता, लोकतंत्र की समझ, और सशक्त भागीदारी की संभावनाएँ सीमित हैं। जब तक यह वर्ग शिक्षा, सूचना और राजनीतिक प्रक्रिया को समझने में समर्थ नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का वास्तविक लाभ इन तक पहुँचना कठिन रहेगा।

निर्वाचन आयोग द्वारा दर्ज की गई चुनावी अनियमितताओं में, विशेषकर बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में, बूथ कैप्चरिंग, मतदाता भयभीत करना, तथा धन और वस्तुओं के माध्यम से मतों को प्रभावित करना जैसी घटनाएँ प्रमुख हैं। इन घटनाओं का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अनुसूचित जातियों जैसे संवेदनशील समुदायों पर पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति बाधित होती है।

इस पृष्ठभूमि में यह शोध अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है, जो बिहार की अनुसूचित जातियों की सामाजिक सक्रियता, नागरिक साक्षरता, तथा राजनीतिक चेतना का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन न केवल वर्तमान स्थिति की पड़ताल करेगा, बल्कि यह भी स्पष्ट करेगा कि किन बाधाओं के कारण यह वर्ग लोकतंत्र के पूर्ण लाभ से वंचित है, और किस प्रकार उनकी भागीदारी को अधिक समावेशी, न्यायसंगत और प्रभावी बनाया जा सकता है।

2. सामाजिक सक्रियता की वर्तमान स्थिति

भारत में अनुसूचित जातियाँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर पर रखी गईं, जिन्हें शारीरिक श्रम, सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक छुआछूत के आधार पर अलग-थलग किया गया। इस सामाजिक अन्याय की जड़ें इतनी गहरी थीं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अनुसूचित जातियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक भागीदारी जैसे मूलभूत क्षेत्रों में पिछड़ी ही रहीं। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की, जैसे कि अनुच्छेद 15, 17 और 46 में सामाजिक न्याय, समान अवसर और संरक्षण का उल्लेख ,परंतु इन संवैधानिक आदर्शों का धरातलीय कार्यान्वयन अब भी अधूरा है। बिहार, जहाँ सामाजिक संरचना गहराई से जातीय पहचान पर आधारित है, वहाँ अनुसूचित जातियों की सामाजिक सक्रियता बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रही है। यह राज्य की जनसंख्या का 15.9% है, जो स्पष्ट रूप से एक मजबूत सामाजिक उपस्थिति को दर्शाता है। किंतु यह उपस्थिति केवल संख्या तक सीमित है या प्रभावी सामाजिक भागीदारी में रूपांतरित हुई है यह इस अध्ययन का प्रमुख प्रश्न है।

2.1 शिक्षा और नागरिक जागरूकता की स्थिति

सामाजिक सक्रियता का मूल आधार शिक्षा और सूचना की पहुँच से जुड़ा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019–21) के अनुसार, बिहार में अनुसूचित जातियों की औसत साक्षरता दर 56.6% है, जबकि राज्य की औसत दर 70.9% है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति महिलाओं में यह दर केवल 49% है, जो उन्हें सामाजिक निर्णयों और सरकारी योजनाओं में भाग लेने से सीमित करती है। शिक्षा केवल व्यक्तिगत विकास का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक चेतना और अधिकारों की समझ का वाहक भी है, जिसकी कमी के कारण यह वर्ग सामाजिक विमर्श में पीछे रह जाता है।

2.2 आर्थिक स्थिति और सामाजिक निर्भरता

एनएसएसओ (2018–19) के आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों का लगभग 78% भाग कृषि मजदूरी, ईंट भट्ठा, निर्माण कार्य, और अन्य असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत है। इन कार्यों में आय अस्थिर, श्रम असुरक्षित, और सामाजिक प्रतिष्ठा न्यूनतम होती है। आर्थिक रूप से निर्भर व्यक्ति न तो स्वायत्त रूप से सामाजिक भागीदारी कर सकता है, न ही किसी आंदोलन या संगठन में सक्रिय नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। यही कारण है कि अनुसूचित जातियों की सामाजिक सक्रियता अनौपचारिक या सीमित दायरे में सिमट कर रह जाती है।

2.3 सामाजिक संस्थाओं में भागीदारी

बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित जीविका योजना के अंतर्गत वर्ष 2021 तक लगभग 10 लाख स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाए गए, जिनमें अनुसूचित जातियों की भागीदारी बढ़ी है। यह समूह महिलाओं के वित्तीय समावेशन का सशक्त माध्यम बने हैं, परंतु नीति-निर्माण, ग्राम सभा, विद्यालय प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य समिति जैसे स्थानीय निर्णयात्मक मंचों पर अनुसूचित जातियों की सहभागिता अब भी सीमित है। बिहार सामाजिक समावेशन रिपोर्ट (UNDP, 2020) के अनुसार, सार्वजनिक संस्थाओं में

अनुसूचित जातियों की औसत भागीदारी केवल 28% है। यह दर्शाता है कि आरक्षण और योजनाओं के माध्यम से प्रतिनिधित्व भले ही बढ़ा हो, परंतु निर्णयकारी स्तर पर उनका योगदान नगण्य है।

2.4 जातिगत भेदभाव और सामाजिक बाधाएँ

भले ही संवैधानिक रूप से अस्पृश्यता का अंत घोषित कर दिया गया हो, परंतु राष्ट्रीय दलित आयोग (2018) की रिपोर्ट दर्शाती है कि बिहार के 26 जिलों में अनुसूचित जातियों को आज भी सार्वजनिक कुओं, मंदिरों, सामुदायिक हॉल, विद्यालय भवनों आदि से वंचित किया जाता है। जातीय अपमान, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार जैसी घटनाएँ सामाजिक सक्रियता के प्रयासों को मानसिक, सांस्कृतिक और संस्थागत रूप से कुंठित करती हैं।

2.5 नवप्रौद्योगिकी और सामाजिक बदलाव

हाल के वर्षों में अनुसूचित जातियों की युवा पीढ़ी में इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया की पहुँच बढ़ी है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कई योजनाएँ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँची हैं, जिससे दलित युवाओं में सामाजिक अधिकारों, भेदभाव विरोधी अभियान, और दलित साहित्य की पुनर्पाठन जैसी प्रवृत्तियाँ उभर रही हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय डिजिटल सर्वेक्षण (2021) के अनुसार, बिहार में अनुसूचित जातियों में केवल 22% लोग ही इंटरनेट का नियमित उपयोग करते हैं, जिससे यह 'डिजिटल जनजागरण' अब भी सीमित प्रभाव उत्पन्न कर पा रहा है।

बिहार में अनुसूचित जातियों की सामाजिक सक्रियता की वर्तमान स्थिति बहुआयामी जटिलताओं से घिरी हुई है। शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बहिष्कार, और सीमित निर्णयकारी भागीदारी जैसे कारक इस समुदाय की सामाजिक भूमिका को कमजोर करते हैं। यद्यपि योजनाएँ, आरक्षण और डिजिटल युग में कुछ सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, परंतु उन्हें स्थायी और संरचनात्मक बदलाव में रूपांतरित करने हेतु राजनीतिक संकल्प, प्रशासनिक दृढ़ता और सामाजिक जागरूकता का गहन मेल आवश्यक है। सामाजिक सक्रियता को केवल सहायता प्राप्तकर्ता की भूमिका से निकालकर उसे निर्णायक, स्वायत्त और नेतृत्वकारी भूमिका में रूपांतरित करना ही बिहार के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करेगा।

3. राजनीतिक चेतना एवं लोकतांत्रिक भागीदारी

राजनीतिक चेतना किसी भी सामाजिक समुदाय के लोकतांत्रिक सशक्तिकरण की मूलभूत शर्त है। यह केवल मतदान करने या प्रतिनिधियों के चयन तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें समाज की समस्याओं की समझ, सत्ता व्यवस्था पर दृष्टिपात, नेतृत्व निर्माण की क्षमता, और नीतिगत हस्तक्षेप का सामर्थ्य भी शामिल होता है। अनुसूचित जातियों के संदर्भ में यह चेतना भारत के सामाजिक इतिहास में अत्यंत जटिल रही है, क्योंकि इस समुदाय को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक उपेक्षा और राजनीतिक निष्क्रियता का शिकार बनाया गया। बिहार जैसे राज्य में, जहाँ राजनीति जातीय समीकरणों से संचालित होती है, वहाँ अनुसूचित जातियों की राजनीतिक चेतना का विश्लेषण करना केवल संख्या या आरक्षित सीटों की गिनती से संभव नहीं, बल्कि उनके प्रभाव, उपस्थिति, एजेंसी और रणनीतिक दख़ल से करना आवश्यक है।

3.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान प्रदत्त अवसर

भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनुसूचित जातियों को राजनीतिक समावेशन हेतु संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 के तहत विधानसभाओं और संसद में आरक्षण का प्रावधान किया गया। बिहार विधान सभा में अनुसूचित जातियों के लिए 38 सीटें, और लोकसभा में 8 सीटें आरक्षित की गई (भारत निर्वाचन आयोग, 2019)। यह व्यवस्था वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी। हालाँकि यह आरक्षण प्रणाली उन्हें मंच प्रदान करती है, परंतु प्रतिनिधियों की नीतिगत स्वतंत्रता और निर्णय-निर्माण में भूमिका अब भी सीमित दिखाई देती है। दलगत अनुशासन, सामाजिक पूर्वाग्रह और संसाधनों की कमी के कारण अनुसूचित जातियों से आने वाले प्रतिनिधियों का सशक्त नेतृत्व पनप नहीं पाया है।

3.2 मतदान व्यवहार और राजनीतिक भागीदारी का स्वरूप

बिहार में अनुसूचित जातियों का मतदान प्रतिशत धीरे-धीरे बढ़ा है। लोकसभा चुनाव 2019 में राज्य की औसत मतदान दर 57.3% थी, और अनुसूचित जातियों का अनुमानित औसत 55% के आसपास रहा। परंतु यह भागीदारी केवल मतदान में उपस्थित होने तक सीमित है उसमें नीतियों की समझ, घोषणापत्रों का विश्लेषण, प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना या जन-संवेदनशील मुद्दों पर आंदोलनकारी दृष्टि अपेक्षाकृत कम है। लोकनीति-CSDS के 2020 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति समुदाय के अधिकांश मतदाता उम्मीदवार का चयन जाति, क्षेत्रीय प्रभाव या तात्कालिक लाभ के आधार पर करते हैं। इससे दीर्घकालिक राजनीतिक चेतना और वैचारिक परिपक्वता का अभाव दिखाई देता है। राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि मतदाता केवल मत न दें, बल्कि मत के पीछे समझ, विचारधारा और सामाजिक न्याय की दृष्टि भी हो।

3.3 क्षेत्रीय दलों की भूमिका

बिहार की राजनीति में अनुसूचित जातियों के सशक्तिकरण की दिशा में क्षेत्रीय दलों ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, विशेषकर लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) जैसे दलों ने दलित समुदाय की प्रतिनिधित्व की आकांक्षाओं को राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया।

लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) की स्थापना वर्ष 2000 में रामविलास पासवान द्वारा की गई थी, जो दशकों तक राष्ट्रीय राजनीति में दलित समाज की आवाज़ बने रहे। पासवान जी ने न केवल दुसाध जाति को संगठित किया, बल्कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श में स्थान दिलाया। उनके निधन (8 अक्टूबर 2020) के बाद उनके पुत्र चिराग पासवान ने पार्टी का नेतृत्व सँभालते हुए इसे लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नाम से पुनर्गठित किया। चिराग पासवान ने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में "बिहारी पहला, बिहारी फर्स्ट" जैसे नारों से अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश की। यद्यपि पार्टी को आंतरिक विभाजन और गठबंधन विफलताओं का सामना करना पड़ा, फिर भी चिराग दलित युवाओं के एक वर्ग में आज भी महत्वाकांक्षी नेता के रूप में देखे जा रहे हैं।

हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) की स्थापना 2015 में जीतन राम मांझी ने की थी, जो बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उनकी पार्टी का प्रभाव मुख्यतः मुसहर समुदाय में देखा जाता है, जो अनुसूचित जातियों में सबसे अधिक वंचित और पिछड़ा वर्ग माना जाता है। मांझी की छवि एक ज़मीनी दलित नेता की रही है, परंतु उनकी राजनीतिक स्थितियाँ बार-बार सत्तारूढ़ दलों के साथ समझौते करने को विवश करती रही हैं। इसके अतिरिक्त विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और पूर्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (RLSP) ने भी दलित-बहुजन राजनीति को मंच देने का प्रयास किया, परंतु ये दल संगठित नेतृत्व और जनाधार के अभाव में लंबी दूरी तय नहीं कर पाए।

3.4 पंचायत प्रतिनिधित्व और महिला नेतृत्व

73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जातियों को स्थानीय शासन में भागीदारी का अवसर मिला। बिहार में अनुसूचित जातियों के लिए पंचायत स्तर पर आरक्षण व्यवस्था ने हज़ारों लोगों को ग्राम पंचायत, मुखिया और जिला परिषदों तक पहुँचाया। 2021 के पंचायत चुनावों में अनुसूचित जातियों से आने वाली 19% महिलाएँ निर्वाचित हुईं (बिहार राज्य निर्वाचन आयोग)। यद्यपि यह आँकड़ा उत्साहजनक है, परंतु अनेक अनुसंधान दर्शाते हैं कि अधिकतर महिलाएँ अब भी 'प्रॉक्सी प्रतिनिधि' के रूप में कार्य करती हैं निर्णय उनके पति या परिजन लेते हैं। इस स्थिति में वास्तविक सशक्तिकरण तभी संभव है जब सामाजिक व्यवहारों और लिंग आधारित भूमिकाओं में परिवर्तन आए।

3.5 डिजिटल माध्यमों और दलित नवजागरण का प्रभाव

डिजिटल युग में दलित युवाओं की राजनीतिक चेतना एक नए रूप में उभर रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से अब 'दलित मुद्दे', 'आरक्षण', 'जातीय उत्पीड़न', 'संविधान की रक्षा', और 'दलित नेतृत्व निर्माण' जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा हो रही है। यूट्यूब चैनलों, ट्विटर अभियानों और ऑनलाइन आंदोलनों के ज़रिए दलित युवाओं ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ऑल इंडिया दलित यूथ नेटवर्क, भीम आर्मी, और दलित दस्तक जैसे डिजिटल मंचों ने राष्ट्रीय स्तर पर विचार-निर्माण की प्रक्रिया को गति दी है, परंतु राष्ट्रीय डिजिटल सर्वेक्षण (2021) के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों के केवल 22% लोग ही नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करते हैं। इस कारण यह चेतना अब भी सीमित, क्षेत्रीय और उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं तक सीमित रह गई है।

4. राजनीतिक सशक्तिकरण की प्रमुख बाधाएँ एवं समाधान के उपाय

बिहार, जो एक ओर सामाजिक आंदोलनों, पिछड़ा वर्ग चेतना और दलित राजनीति का ऐतिहासिक केंद्र रहा है, वहीं दूसरी ओर जातिगत वर्चस्व, संसाधन असमानता और सांस्कृतिक विभाजन से गहराई से प्रभावित राज्य भी है। यहाँ अनुसूचित जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण एक जटिल, बहुआयामी और अधूरी प्रक्रिया के रूप में दिखाई देता है, जिसे केवल आरक्षण या प्रतिनिधित्व के आँकड़ों से नहीं मापा जा सकता।

4.1 *प्रमुख बाधाएँसशक्तिकरण के मार्ग में वास्तविक अवरोध :*

- *सत्ता के 'सांस्कृतिक केंद्रीकरण' में बहिष्करण: बिहार की राजनीति में सामाजिक पदानुक्रम अब भी सत्ता की धुरी है। दलित समुदाय सत्ता तक पहुँचने में केवल संविधान या आरक्षण के बल पर नहीं,*

बल्कि सामाजिक मान्यता और वैचारिक स्वीकार्यता के ज़रिए भी वंचित किया गया है। उनके प्रतिनिधित्व को अक्सर तक सीमित कर दिया जाता है "राजनीतिक प्रतीकवाद", जहाँ वे निर्णयकर्ता नहीं, बल्कि बनकर रह जाते हैं। "सामाजिक संतुलन बनाए रखने वाले मोहरे"

- दलित चेतना का 'विचारहीन संगठनात्मक उपयोग: राजनीतिक दलों ने दलित समाज को एक 'मतदाता खंड' के रूप में तो देखा, परंतु उसे स्वतंत्र वैचारिक और रणनीतिक एजेंसी नहीं दी। दलित संगठन अक्सर दलों की रणनीति का अंग बनते हैं, परंतु उनके विचार, मांग और नेतृत्व को 'नियंत्रित स्वतंत्रता' दी जाती है। यह वास्तविक सशक्तिकरण को सीमित करता है।
- सामाजिक आर्थिक निर्भरता और नेतृत्व-का दमन: दलित समुदायों की आर्थिक निर्भरता न केवल सामाजिक जीवन को नियंत्रित करती है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार को भी। भूमिहीनता, ऋण जाल, रोजगारहीनता और शिक्षा की कमी उन्हें 'राजनीतिक खरीदी' के शिकार बनाती है ,जहाँ चुनावी लाभ देकर उनके वोट तो लिए जाते हैं, पर सत्ता में स्थान नहीं दिया जाता।
- सांस्कृतिक नेतृत्व की अनुपस्थिति: नेतृत्व केवल चुनाव लड़ने और जीतने से नहीं बनता, बल्कि वह समाज में वैचारिक प्रेरणा और नैतिक प्रामाणिकता से निर्मित होता है। बिहार में दलित समुदाय का नेतृत्व अधिकतर वंशवादी, सत्तासंबद्ध या औपचा-रिक हो गया है। डॉअम्बेडकर . जैसे वैचारिक नेतृत्व की कमी गहराई से महसूस की जाती है।
- डिजिटल जातिवाद' और सूचना नियंत्रण:जहाँ डिजिटल लोकतंत्र ने अनेक समुदायों को आवाज़ दी है, वहीं दलित समुदाय की डिजिटल साक्षरता, इंटरनेट पहुँच और सूचना सामर्थ्य अब भी सीमित है।- ऑनलाइन मंचों पर भी 'नरैटिव कंट्रोल' ऊँची जातियों या शक्तिशाली समूहों के पास रहता है, जिससे दलित राजनीति का डिजिटल विमर्श सीमित, बिखरा और प्रतिक्रियात्मक रह जाता है।

4.2 *समाधानस्थानीय आवश्यकता और वैश्विक अनुभव का समावेशी मेल :*

- Political Re-Education की प्रणाली: वैचारिक पुनर्निर्माण: जैसे दक्षिण अफ्रीका में 'Mandela School of Leadership', या लैटिन अमेरिका में 'Paulo Freire Thought Circles' के माध्यम से वैचारिक चेतना को पुनर्निर्मित किया गया, वैसे ही बिहार में भी दलित युवाओं के लिए राजनीतिक पुनःशिक्षण केंद्र, संविधान विद्यालय, और नीतिअधिकार संवादशालाएँ- स्थापित होनी चाहिए।
- राजनीतिक दलों की वैधानिक संरचना में समावेशिता अनिवार्य हो: चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों की आंतरिक लोकतांत्रिक जवाबदेही की निगरानी करनी चाहिए। हर दल को यह बाध्य किया जाए कि वह दलित प्रतिनिधियों को न केवल टिकट दे, बल्कि पॉलिसी थिंक टैंक, निर्णय समितियों, और वित्तीय संचालन इकाइयों में भी स्थान दे। यह tokenism के बजाय true inclusion की ओर बढ़ेगा।
- दलित महिला सशक्तिकरणसंरचना और सुरक्षा दोनों :: घाना, रवांडा और ब्राज़ील में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकारों ने राजनीतिक सुरक्षा गारंटी, नेतृत्व स्त्री नेटवर्क, और अत्याचारविरोधी - त्वरित तंत्र की स्थापना की। बिहार में दलित महिलाओं के लिए भी राजनीतिक संबल मिशन, प्रशिक्षण निधि, और सुरक्षा अधिकार मंच शुरू किए जाने चाहिए।
- डिजिटल लोकतंत्र का समावेशी विस्तार: जैसे 'Black Lives Matter' आंदोलन सोशल मीडिया से नीति परिवर्तन तक पहुँचा, बिहार के दलित युवाओं को भी डिजिटल अभियान प्रबंधन, ईराजनीतिक वक्तृत्व-, और डिजिटल दलित मीडिया केंद्रों से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए CSR या सरकारी योजनाओं से धन उपलब्ध कराया जा सकता है।
- आर्थिक आधार पर चुनावी समानता: भारत सरकार को अनुसूचित जातियों के लिए राजनीतिक उद्यमिता सहायता योजना (Political Entrepreneur Development Scheme) लानी चाहिए, जिसमें चुनाव

लड़ने की तैयारी, प्रचार सामग्री, रणनीतिक सलाह और अभियान प्रबंधन के लिए आर्थिक सहायता दी जाए।

5. निष्कर्ष और सुझाव

5.1 निष्कर्ष

बिहार में अनुसूचित जातियों का राजनीतिक सशक्तिकरण केवल प्रतिनिधित्व की उपस्थिति तक सीमित है, भागीदारी अब भी अधूरी है। राजनीतिक दलों ने उन्हें मंच दिया, पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं। आर्थिक निर्भरता, जातिगत विखंडन, प्रॉक्सी नेतृत्व और वैचारिक शून्यता ने इस वर्ग की वास्तविक शक्ति को सीमित किया है। राजनीतिक सशक्तिकरण तभी संभव है जब दलित समुदाय सत्ता के उपभोक्ता नहीं, निर्माता बने; और प्रतिनिधित्व केवल संख्या नहीं, नीति निर्धारण का माध्यम हो।

5.2 सुझाव

1. **राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र** सुनिश्चित हो — दलित प्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में भाग लें, केवल चेहरा न बनें।
2. **दलित महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण,** सुरक्षा और आर्थिक सहायता के विशेष कार्यक्रम चलाए जाएँ।
3. **चुनाव के लिए 'राजनीतिक सहायता कोष'** की स्थापना हो, जिससे संसाधनहीन परंतु योग्य उम्मीदवार सशक्त हो सकें।
4. **डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म** पर दलित नेतृत्व को बढ़ावा देने हेतु *ई-प्रशिक्षण, सोशल मीडिया रणनीति* और *मीडिया साक्षरता अभियान* चलाए जाएँ।
5. **सामूहिक दलित मंच** बनाकर उपजातियों के बीच वैचारिक एकता और साझा एजेंडा विकसित किया जाए।
6. **अंतरराष्ट्रीय शोध सहयोग** के ज़रिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया जाए — जैसे *Black Lives Matter*, *ANC* मॉडल, आदि।

संदर्भ सूची

1. भारत निर्वाचन आयोग।)2019)। लोकसभा आम चुनाव 2019 पर सांख्यिकीय रिपोर्ट।
2. भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।)2021)
3. राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण)NFHS-5), बिहार :2019–21
4. अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान। नीति आयोग।)2019)। विद्यालय शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक।
5. यूनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम)UNDP) एवं बिहार सरकार।)2020)। बिहार सामाजिक समावेशन और सतत विकास रिपोर्ट। पटनायूएनडीपी। :
6. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स।)2019)। 17वीं लोकसभा में सांसदों की पृष्ठभूमि, आपराधिक मामलों, वित्तीय जानकारी और शैक्षिक स्थिति का विश्लेषण।
7. भारत का संविधान।)1950)। भारत का संविधान ।(संविधान सभा द्वारा अंगीकृत) भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रकाशित।
8. रेस मिलिटैरिस।)2022)। भारत में उदार लोकतंत्र और चुनावी प्रवृत्तियाँएक दशक का मूल्यांकन। : Res Militaris, 12(3), 1–15।

9. लोकनीति–सीएसडीएस।)2020)। भारत में अनुसूचित जातियों का मतदान व्यवहारलोकतांत्रिक : भागीदारी का विश्लेषण। नई दिल्लीसेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज। :
10. बिहार सामाजिक न्याय विभाग।)2021)। अनुसूचित जातियों के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु योजनाएँएक समीक्षात्मक रिपोर्ट। : पटनाबिहार सरकार। :
11. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग।)2018)। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार की स्थिति पर विशेष रिपोर्ट। नई दिल्लीएनएचआरसी। :

International Research Journal
IJNRD
Research Through Innovation